

## कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री राकेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामजीलाल वर्मा पता निवासी आदर्श विद्या मंदिर के सामने  
पूनम टाकिज के पीछे दौसा (राज0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति जिला कलेक्टर, दौसा



अपील सं0 07/2018

निर्णय

दिनांक 28.02.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा से सूचना/नकल हेतु दिनांक 14.12.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जाँच टिप्पणी मँगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अति0 जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा उनके पत्रांक आरटीआई/2018/190 दिनांक 16.02.18 द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा वॉछित सूचना उनसे संबंधित नहीं होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, दौसा, जिला सांख्यिकी अधिकारी, दौसा एवं ए0सी0पी0 (उप निदेशक) सूचना एवं प्राद्योगिकी और संचार विभाग, अटल सेवा केंद्र दौसा से संबंधित होने के कारण उनको धारा 6 (3) के अंतर्गत स्थानांतरित की जाकर संबंधित को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, दौसा, जिला सांख्यिकी अधिकारी, दौसा व एसीपी दौसा द्वारा सूचना उपलब्ध करवाया जाना अंकित किया जाकर अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 20.02.2018 को अपीलांत स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये और उन्होंने एक प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर सूचना सही एवं पूरी नहीं दी जाने बाबत पेश किया। साथ ही पूरी सूचना दिलवाने हेतु निवेदन किया गया। न्यायहित में अपीलांत को एक अवसर प्रदान किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, दौसा को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि 07 दिवस के भीतर अपीलांत को नियमानुसार पूरी सूचना उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा